रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 11, 1973/आषाढ़ 20, 1895

No. 7] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULAY 11, 1973/ASADHA 20, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July 1973

No. 551(62)/73-NE.—In pursuance of proviso to sub-section (1) of section 3 of the North Eastern Council Act, 1971 (84 of 1971), the President is pleased to nominate the Adviser to the Governor of Monipur to represent the State of Manipur in the North Eastern Council for so long as there is no Council of Ministers in Manipur.

T. C. A. SRINIVASAVARADHAN, Addl. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1973

सं० 551(62)/73-एन०ई०—उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 (1971 का 84) की धारा 3 की उप-धारा (1) के परन्तुक (प्रोविजो) के अनुसरण में राष्ट्रपति, उत्तर-पूर्वी परिषद् में, मणिपुर राज्य का प्रतिनिधित्व करने के वास्ते मणिपुर के राज्यपाल के सलाहकार को उस समय तक के लिए मनोनीत करते है जब तक कि मणिपुर में मंत्रि-परिषद नहीं बनाई जाती है ।

टी० सी० ए० श्रीनिवासवर्धन, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973